न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00369

बाबूलाल आत्मज श्री पन्ना लाल जाति मीणा निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा गूंगा बहरा अनपढ जरिये वादमित्र भतीजा सत्यनारायण आत्मज श्री भंवरलाल जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमाकान्त लोहिया, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अनिल कुमार माथुर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 283/572 रकबा 2.56 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि को वादी ने दिनांक 09.06.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर अभी तक वादी का नाम खाते में दर्ज नहीं किया गया है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम खाते में दर्ज करवाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम खाते में बहैसियत खातेदार दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. पक्षकारान द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 13.05.2019 को लिखित राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2019 के द्वारा वाद वादी बरूए राजीनामा डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट गूंगा बहरा एवं अनपढ व्यक्ति तथा अपना भला–बुरा नहीं समझने वाला व्यक्ति है जिसने अपनी स्वेच्छा से अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश नहीं किया और न ही उसे राजीनामे की भाषा समझाई उसको धोखे में रखकर राजीनामा पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी को जरिये भतीजे सत्यनारायण एवं उसको पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.09.2019 को बताने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई और उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट गूंगा–बहरा व्यक्ति है जो अपना भला–बुरा समझने में सक्षम नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने राजीनामा के द्वारा निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट ने स्वेच्छा से राजीनामा पेश नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट के पिता रामकल्याण के द्वारा एक फर्जी मुख्तारआम करवाकर आराजी का बेचान अपने पुत्र के पक्ष में करवा दिया और बेचान राशि का भुगतान अब तक अपीलान्ट को नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट और उसके पिता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी है और न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है । अपीलान्ट ने अपने भतीजे के जरिये सिविल न्यायालय में एक दावा बेचान को निरस्त कराने के लिए पेश किया है जो जैरकार है । इन तथ्यों को छुपाकर रेस्पोडेन्ट ने हक घोषणा का दावा पेश किया है । अपीलान्ट ने कोई वकील नियुक्त नहीं किया था । धोखे से अपीलान्ट के राजीनामे पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं । परीक्षण न्यायालय को आदेश 32 निमय 3 व 15 सीपीसी की पालना में बाबूलाल के लिए संरक्षक नियुक्त करना चाहिए था जो नहीं किया गया

है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसके खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अपीलान्ट ने नेक्स्ट फ्रेण्ड नियुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय में पेश नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2019 बहाल रखा जावे ।

11. अपीलान्ट ने अपील में कुछ दस्तावेजात भी पेश किये हैं जिसमें नामान्तरकरण संख्या 680 की प्रमाणि प्रति है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज की गई है । अपर सेशन न्यायाधीश की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियॉ एवं विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिए पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रति तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियॉ हैं ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें दिनांक 13.05.2019 को एक राजीनामा पेश हुआ है । पत्रावली पर प्रतिवादी अपीलान्ट ने जवाबदावा भी पेश किया है जिसमें दावा वादी को स्वीकार किया गया है । परीक्षण न्यायालय के द्वारा राजीनामे के आधार पर दावा वादी डिक्री किया गया है । पत्रावली पर एक विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार रामकल्याण की ओर से बाबूलाल के मुख्ताआम की हैसियत से वादग्रस्त आराजी का विक्रय महेन्द्र के पक्ष में किया है । यह विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध हुआ है । मुख्तारआम की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है ।

13. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात संलग्न हैं उसके अनुसार रामकल्याण ने अपीलान्ट के मुख्ताआम की हैसियत से वादग्रस्त आराजी का विक्रय रेस्पोडेन्ट महेन्द्र के पक्ष में किया है और परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारों के द्वारा पेश किये गये राजीनामे के आधार पर दावा वादी डिक्री किया है । राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि यह राजीनामा उनके द्वारा स्वेच्छा से पेश नहीं किया गया है तो उन्हें परीक्षण न्यायालय के समक्ष इस बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और यदि अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में अपने लिए आदेश 32 की पालना में संरक्षक नियुक्त करवाना चाहते हैं तो भी उन्हें प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्तारआम की हैसियत से अपीलान्ट की ओर से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया जा चुका है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि मुख्तारआम और विक्रय पत्र धोखे से निष्पादित किये गये हैं तो भी उसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है वरन् सिविल न्यायालय को है और अपीलान्ट स्वयं के कथनानुसार सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए उनका दावा जैरकार है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2019 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.8.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा